राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

स.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/4एफ जयपुर, दिनांकः– 24.03.2005

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951(1951 का राजस्थान अधिनियम सं॰ 11) की धारा 4 की उप–धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की (समय–समय पर यथा–संशोधित) अधिसूचना सं॰ एफ.6 (179)/परि/टैक्स/ एचक्यू/95/4डी. दिनांक 29.11.04 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, इससे संलग्न सारणी के स्तंभ सं॰ 2 में विनिर्दिष्ट विभिन्न वर्गों के अन्य राज्यों के परिवहन यानों और अस्थायी परमिट पर चलने वाले और अस्थायी रूप से रजिस्ट्रीकृत तथा राज्य में से होकर जाने वाले मोटर यानों, मोटर यानों के चैसिसों पर उसके स्तंभ सं॰ 3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दर पर, इसके द्वारा, तारीख 24–03–05 से कर की दर विहित करती है:–

सारणी

क्र.सं.	मोटर यान के वर्ग का विवरण	कर की दर
1	2	3
1.	अस्थायी परमिट पर चलने वाले अन्य राज्यों के परिवहन यान	
	क. यात्री यान	
	(1) तिपहिया यान	सात दिन या उसके भाग के लिए प्रति सीट 10/–रु.
	(2) चार पहियों वाले यान	
	(क) ड्राइवर को छोड़कर 12 तक की सीट क्षमता वाले	सात दिन या उसके भाग के लिए प्रति सीट 70/–रु.
	(ख) ड्राइवर को छोड़कर 12 से अधिक की किन्तु ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 20 तक की सीट क्षमता वाले	
	(i) साधारण यान	सात दिन या उसके भाग के लिए प्रति सीट 80/–रु.
	(ii) साधारण यान से भिन्न	सात दिन या उसके भाग के लिए प्रति सीट 90/–रु.
	(ग) ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 20 से अधिक की सीट क्षमता वाले	
	(i) साधारण यान	सात दिन या उसके भाग के लिए प्रति सीट 100/–रु.
	(ii) साधारण यान से भिन्न	सात दिन या उसके भाग के लिए प्रति सीट 120/–रु.
	ख. माल यान	
	(क) 7000 किग्रा. तक जी.वी.डब्ल्यू/ आर.एल.डब्ल्यू	30 दिन या उसके भाग के लिए प्रति 1000 किग्रा. जी.वी.डब्ल्यू/ आर.एल.डब्ल्यू या उसके भाग के लिए 110/–रु.

	(ख) 7000 कि.ग्रा. से अधिक,प्रत्येक 1000 कि.ग्रा. या उसके भाग के जी.वी.डब्ल्यू/आर.एल.डब्ल्यू.	ऊपर विनिर्दिष्ट दरों पर संदेय रकम के अतिरिक्त, 30 दिन या उसके भाग के लिए प्रत्येक 1000 कि.ग्रा.जी.वी.डब्ल्यू/आर.एल.डब्ल्यू या उसके भाग के लिए 50/–रु.
2.	अस्थायी रूप से रजिस्ट्रीकृत मोटर यान या मोटर यानों के चैसिस (क) मोटर कार, ट्रैक्टर और ड्राइवर को छोड़कर 10 तक सीट क्षमता वाली ओमनी बस और सभी तिपहिया यान (ख) खण्ड (क) के अन्तर्गत न आने वाले कोई भी अन्य मोटर यान (ग) मोटर यानों के चैसिस	 प्रति यान 200/–रु. प्रति यान 1500/–रु. प्रति चैसिस 1000/–रु.

स्पष्टीकरणः–

(1) कर की दर के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति ''साधारण यान'' से चैसिस पर एक ओर से दूसरी ओर 3X2 सीटों की बैठक व्यवस्था वाला कोई यान अभिप्रेत है।

(2) कर की दर के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति ''साधारण यान से भिन्न'' से चैसिस पर एक ओर से दूसरी ओर 2 X 2, 2 x 1 या 1 X1 सीटों की बैठक व्यवस्था वाला कोई यान अभिप्रेत है।

(3) संलग्न यान को सम्मिलित करते हुए, ट्रक, ट्रेलर या उसके किसी संयोजन या अनुकूलन के जी.वी.डब्ल्यू/आर.एल.डब्ल्यू. के प्रयोजन के लिए ट्रक/होर्स ट्रेलर और साथ के किसी अनुकूलन के जी.वी.डब्ल्यू./आर.एल.डब्ल्यू. को उस पर कर की संगणना के लिए विचार में लिया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

शासन उप सचिव